संचिका सं0–10/यो0–1–01/2015 (पार्ट) 990(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

वित्त विभाग से परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 22-01-19

विषयः– भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Other Health Strenthening under NRHM, RCH Flexible Pool एवं Comprehensive Primary Health Care Under HSS मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 801.60 करोड़ (आठ अरब करोड़ साठ लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 534.40 करोड़ (पाँच चौंतीस करोड़ चालीस लाख रुपये) अर्थात् कुल 1336.00 करोड़ (तेरह अरब छत्तीस करोड़ रुपये) की विभागीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि में से अबतक स्वीकृत रुपये 1145.96 करोड़ (ग्यारह अरब पैंतालिस करोड़ छियानवें लाख रुपये) में से अवशेष राज्यांश मद की एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन से राज्यांश मद में प्राप्त राशि कुल रुपये 188.27 करोड़ (एक अरब अट्ठासी करोड़ सत्ताइस लाख रुपये) सहायक अनुदान राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति ।

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Other Health Strenthening under NRHM, RCH Flexible Pool एवं Comprehensive Primary Health Care Under HSS मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 801.60 करोड़ (आठ अरब एक करोड़ साठ लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 534.40 करोड़ (पाँच अरब चौंतीस करोड़ चालीस लाख रुपये) अर्थात् कुल 1336.00 करोड़ (तेरह अरब छत्तीस करोड़ रुपये) की विभागीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि में से केन्द्रांश मद की कुल राशि एवं राज्यांश मद की अबतक उपबंधित अवशेष राशि 344.36 करोड़ (तीन अरब चौवालिस करोड़ छत्तीस लाख रुपये) अर्थात् कुल रुपये 801.60+344.36=1145.96 करोड़ (ग्यारह अरब पैंतालिस करोड़ छियानवें लाख रुपये) सहायक अनुदान के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–755(10), दिनांक–15.11.2018 के द्वारा व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य स्वास्थ्य समिति को दी जा चुकी है एवं तद्क्रम में विभागीय आवंटनादेश संख्या–15(10)ब, दिनांक–19.11.2018 से सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित आवंटन भी दी जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में राज्यांश मद की अवशेष राशि रुपये 190.04 करोड़ (एक अरब नब्बे करोड़ चार लाख रुपये) में से द्वितीय अनुपूरक आगणन से कुल प्राप्त राशि रुपये 188.27 करोड़ (एक अरब अट्ठासी करोड़ सत्ताइस लाख रुपये) की विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–755(10), दिनांक– 15.11.2018 के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या–17(10)ब, दिनांक–17.12.2018 के द्वारा राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय करने हेतु आवंटित की गयी थी परन्तु निकासी के क्रम में कोषागार के आपत्ति के आलोक में विभागीय आवंटनादेश संख्या–17(10)ब, दिनांक–17.12.2018 को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

3. कोषागार के आपत्ति के आलोक में राज्यांश मद की अवशेष राशि रुपये 190.04 करोड़ (एक अरब नब्बे करोड़ चार लाख रुपये) में से द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल राशि रुपये 188.27 करोड़ (एक अरब अट्ठासी करोड़ सत्ताइस लाख रुपये) की राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. ज्ञातव्य है कि पूर्व में राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक–3875, दिनांक–06.09.2018, पत्रांक–4468, दिनांक–25.09.2018 एवं पत्रांक–4585, दिनांक–29.09.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये NHM अन्तर्गत Other Health Strenthening under NRHM, RCH Flexible Pool एवं Comprehensive Primary Health Care Under HSS में विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु अनुमोदित बजट के अनुरूप केन्द्रांश मद में रुपये 801.60 करोड़ (आठ अरब एक करोड़ साठ लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 534.40 करोड़ (पाँच अरब चौंतीस करोड़ चालीस लाख रुपये) के अर्थात् कुल रुपये 1336.00 करोड़ (तेरह अरब छत्तीस करोड़ रुपये) विमुक्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें से विभागीय आवंटनादेश संख्या–15(10)ब, दिनांक–19.11.2018 से सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को रुपये 1145.96 करोड़ (ग्यारह आब पैंतालिस करोड़ छियानवें लाख रुपये) व्यय निमित आवंटन भी पूर्व में दी जा चुकी है।

5. राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्रों के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :–

Details of fund received from Govt. of India				
S.N	**Letter no & date**	**Amount (Central Shares) 60%**	**State Shares 40%**	**Total**
	(i) Other Health System for Activities covered under NRHM			
1	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)4, 24-08-2018	2740100000	1826733333	4566833333
2	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)5, 24-08-2018	304500000	203000000	507500000
3	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)6, 24-08-2018	526700000	351133333	877833333
4	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)7, 24-08-2018	58500000	39000000	97500000
5	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)8, 24-08-2018	42500000	28333333	70833333
6.	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)9, 24-08-2018	4700000	3133333	7833333
	Total-(i)	**3677000000**	**2451333333**	**6128333333**
	(ii) Comprehensive Primary Health Care under Hss			
7	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)10, 24-08-2018	528900000	352600000	881500000
8	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)11, 24-08-2018	101700000	67800000	169500000
9	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)12, 24-08-2018	8200000	5466667	13666667
	Total-(ii)	**638800000**	**425866667**	**1064666667**
	Total- (i+ii)	**4315800000**	**2877200000**	**7193000000**
	(iii) RCH Flexible			
1	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)1, 20-09-18	1541600000	1027733333	2569333333
2	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)2, 20-09-18	296200000	197466667	493666667
3	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)3, 20-09-18	24000000	16000000	40000000
	Total- (iii)	**1861800000**	**1241200000**	**3103000000**
	(iv) Other Health System for Activities covered under NRHM			
1	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)4, 19-09-18	1370000000	913333333	2283333333

2	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)6, 19-09-18	263300000	175533333	438833333
3	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)5, 19-09-18	152200000	101466667	253666667
4	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)9, 19-09-18	2400000	1600000	4000000
5	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)8, 19-09-18	21200000	14133333	35333333
6	G.27017-28/2018-19/NHM(Finance)7, 19-09-18	29300000	19533333	48833333
	Total-(iv)	**1838400000**	**1225600000**	**3064000000**
	Total- (iii+iv)	**3700200000**	**2466800000**	**6167000000**
	Grand Total (i+ii+iii+iv)	**8016000000**	**5344000000**	**13360000000**

6. राज्यांश मद् की उक्त राशि में से अवशेष रुपये 190.04 करोड़ (एक अरब नब्बे करोड़ चार लाख रुपये) में से द्वितीय अनुपूरक आगणन से कुल प्राप्त राशि रुपये 188.27 करोड़ (एक अरब अट्ठासी करोड़ सत्ताइस लाख रुपये) की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगाः–

(क) राज्यांशः–

(i) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–उप शीर्ष–0309–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन** से प्राप्त एवं उपबंधित राशि रुपये 12,79,00,000/–में से कुल रुपये 12,79,00,000/–(बारह करोड़ उनासी लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष–31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 53,13,00,000/– में से कुल रुपये 53,13,00,000/–(तिरपन करोड़ तेरह लाख रुपये) से विकलनीय होगी।

(ii) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0301– एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त** एवं उपबंधित राशि रुपये 4,26,00,000/–में से कुल रुपये 4,26,00,000/–(चार करोड़ छब्बीस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 17,39,00,000/–में से कुल रुपये 17,39,00,000/–(सतरह करोड़ उनचालिस लाख रुपये) से विकलनीय होगी।

(iii) मांग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 0303–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त** एवं उपबंधित राशि रुपये 19,19,20,000/–में से कुल रुपये 19,19,20,000/–(उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार रुपये) एवं 31 06–सहायक अनुदान– वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 92,83,00,000/–में से रुपये 70,37,00,000/–(सत्तर करोड़ सैंतीस लाख रुपये) से विकलनीय होगी।

(iv) मांग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–0301–एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210037890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9156, विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त** एवं उपबंधित राशि रुपये 2,55,90,000/–में से कुल रुपये 2,55,90,000/–(दो करोड़ पचपन लाख नब्बे हजार रुपये) एवं विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद् में उपबंधित राशि रुपये 8,53,00,000/–में से कुल रुपये 8,53,00,000/–(आठ करोड़ तिरपन लाख रुपये) से विकलनीय होगी।

(v) मांग संख्या—20, मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं—एलोपैथी, लघु शीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—उप शीर्ष—0302— एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड—20-2210037960302, पी0एफ0एम0एस0 कोड—9156, विषय शीर्ष—31 04—सहायक अनुदान—वेतन मद में **द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त** एवं उपबंधित राशि रुपये 4,90,000/—में से कुल रुपये 4,90,000/—(चार लाख नब्बे हजार रुपये) से विकलनीय होगी।

7. इस राशि की निकासी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या—46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता—PLA-263 विपत्र कोड—K8448001200027 में सुलभ करायेगें । राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेगें।

9. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0—8244, दिनांक—02.08.2010 की कंडिका—2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे । साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

10. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनांक—17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक—05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक—27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक—03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक—09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—10/यो0—1—01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ—129/टि0 पर प्राप्त है ।

13. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।

14. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[signature] 21/1/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक—10/यो0—1—01/2015 (पार्ट)—......990.........(10) /स्वा0, पटना, दिनांक—21-01-19

प्रतिलिपि— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[signature]

प्रतिलिपि–सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0–331–सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0–523–सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10 एवं प्रशाखा–10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

99c(10)
21-01-19

सरकार के विशेष सचिव ।

D:\DFP-10\Nagmani Kr NRHM (Rajaya Swasth Samiti) Rajayadesh & Awantanadesh\NRHN Rajayadesh (2018-19).doc